

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

मंगलवार, 19 मार्च, 2019 को प्रातः 10.30 बजे डॉ. एसआरकेवीएस ऑडिटोरियम (डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऑडिटोरियम), केंद्रीय विद्यालय नं. 2, एपीएस कॉलोनी के नजदीक, गुडगांव रोड, दिल्ली कैंट, नई दिल्ली- 110010 में आयोजित कंपनी की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) की रिमोट ई-वोटिंग और इंस्टा पोल के परिणाम

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण संबंधी बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण संबंधी अपेक्षाएं) विनियम, 2015, के विनियम 44 के अनुसार, कंपनी ने असाधारण आम बैठक (ईजीएम) के दिनांक 20 फरवरी 2019 के नोटिस में प्रस्तावित मद पर अपने शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान की थी ताकि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकें। इसे कंपनी की वेबसाइट और स्टॉक एक्सचेंज पर भी उपलब्ध कराया गया था। ई-वोटिंग 16 मार्च, 2019 को प्रातः 10.00 बजे शुरू होकर 18 मार्च 2019 को शाम 5.00 बजे समाप्त हुई।

इसके अतिरिक्त, शेयरधारकों ने असाधारण आम बैठक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम अर्थात् इंस्टा पोल के माध्यम से भी अपने वोट डाले थे।

श्री सचिन अग्रवाल, अभ्यासी (प्रैक्टिसिंग) कंपनी सचिव और कुमारी करिश्मा सिंह, अभ्यासी (प्रैक्टिसिंग) कंपनी सचिव को ईजीएम में निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग और इंस्टा पोल के संचालन के लिए संयुक्त स्कूटनाइजर नियुक्त किया गया। स्कूटनाइजर ने 18 मार्च, 2019 को शाम 5.00 बजे उक्त बैठक के समाप्त होने तक प्राप्त सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटों तथा असाधारण आम बैठक में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम अर्थात् इंस्टा पोल के माध्यम से डाली गई वोटों की जांच की है और अपनी दिनांक 19 मार्च 2019 की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उन्होंने सूचित किया है कि शेयरधारकों के नाम से पंजीकृत शेयरों के प्रदत्त मूल्य के आधार पर उनके वोटिंग अधिकारों की गणना करने पर यह पाया गया है कि शेयरधारकों ने सभी प्रस्तावित संकल्पों पर अपनी सहमति व्यक्त की है। अपनी रिपोर्ट में श्री सचिन अग्रवाल और कुमारी करिश्मा सिंह ने निम्नलिखित पुष्टि की है:

1. साधारण संकल्प

“संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अंतर्गत प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों/नियमों, यदि कोई हो, तथा अन्य लागू अधिनियम/विनियम के अंतर्गत प्रावधानों/नियमों के अनुसरण में, सेबी (पर्याप्त अर्जन एवं अधिग्रहण) विनियम, 2011 (“अधिग्रहण विनियम”) के विनियम 8 और 10(1)(क) के अनुसार प्रबंधन नियंत्रण के साथ निर्धारित कीमत पर भारत सरकार के आरईसी लिमिटेड के 1,03,93,99,343 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों के अर्जन के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से कार्य करते हुए भारत के राष्ट्रपति के साथ संबंधित पक्षकार लेन-देन करने हेतु कंपनी को मंजूरी दी जा सकती है/दी जाती है, इसमें कंपनी द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्ता की मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर और साथ ही निदेशक मंडल द्वारा जैसा निर्णीत किया जाए, प्रीमियम शामिल है, जो दिए गए अधिग्रहण विनियम के विनियम 10(1)(क) के अंतर्गत प्रदान की गई 25% थ्रेशोल्ड सीमा से अधिक नहीं होगा कि लेन-देन अधिग्रहण विनियम के विनियम 10(1)(क)(iii) के अंतर्गत खुली पेशकश संबंधी अपेक्षा से मुक्त होंगे।

“यह भी संकल्प किया जाता है कि कंपनी का निदेशक मंडल (इसमें निदेशक मंडल या निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किसी प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से गठित कोई समिति शामिल है) ऐसे सभी कार्यों, कृत्यों और चीजों, जैसा भी आवश्यक समझा जाए, को करने के लिए एतद्वारा अधिकृत हो सकता है और है, इसमें उक्त संबंधित पक्षकार लेन-देन, जैसा भी वे अपने निरपेक्ष विवेक से आवश्यक समझे, को प्रभावी बनाने के लिए शेयर क्रय करार, अन्य करार, घोषणाएं और दस्तावेजों को नेगोशिएट करने, अंतिम रूप देने और हस्ताक्षर करने के लिए, अग्रिम में या अन्यथा आदि सहित कीमत, मात्र, प्रतिफल, प्रीमियम, भुगतान की निबंधन शामिल है, परंतु इतने तक सीमित नहीं है।

विवरण	रिमोट ई-वोट		ईजीएम में इंस्टा पोल के माध्यम से वोटिंग		कुल		प्रतिशतता %
	संख्या	वोट	संख्या	वोट	संख्या	वोट	
सहमत	248	430326917	467	449102	715	430776019	68.72
असहमत	222	196109635	9	839	231	196110474	31.28
वोटिंग में भाग न लेना	9	4995210	0	0	9	4995210	0.00

अतएव, अपेक्षित बहुमत के साथ उक्त संकल्प को अनुमोदित किया गया है।

यहां ऊपर प्रदान किए गए ब्योरे के अनुसार, स्कूटनाइजर की रिपोर्ट के आलोक में, मैं, राजीव शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पीएफसी घोषणा करता हूँ कि असाधारण आम बैठक के नोटिस में प्रस्तावित संकल्प (पॉ) अपेक्षित बहुमत से पारित किए गए हैं। उपर्युक्त परिणामों को तदनुसार अधिसूचित किया जाए।

कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

ह/-

(राजीव शर्मा)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन नंबर 00973413

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 19 मार्च, 2019

CONSOLIDATED SCRUTINIZER'S REPORT

(Pursuant to Section 108 of the Companies Act 2013 and
Rule 20(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by
Companies (Management and Administration) Rules, 2015)

To,
The Chairman
Power Finance Corporation Limited
Urjanidhi', 1, Barakhamba Lane,
Connaught Place,
New Delhi - 110001

Reg.: Extra-Ordinary General Meeting of the members of Power Finance Corporation Limited held on Tuesday, 19th Day of March, 2019 at Dr. SRKVS Auditorium (Dr. Sarvepalli Radhakrishnan Auditorium), Kendriya Vidyalaya No. 2, Near APS Colony, Gurgaon Road, Delhi Cantt, New Delhi - 110010.

Sub: Consolidated Scrutinizer's Report on voting through electronic means (remote e-voting) and poll (Insta Poll) process conducted pursuant to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 108 of Companies Act 2013 ("the Act") read with Rule 20 (4)(xii) of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 read with Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015.

Dear Sir,

We, Sachin Agarwal and Karishma Singh, Partners, Agarwal S. & Associates, Company Secretaries in whole time Practice, having office at D-427, 2nd Floor, Palam Extn., Ramphal Chowk, Sector 7, Dwarka, New Delhi-110075, had been appointed as Joint Scrutinizers by the Board of Directors of **Power Finance Corporation Limited** (the Company) on 20th February, 2019, pursuant to the provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 108 of Companies Act 2013 read with Rule 20 & 21 of Companies (Management & Administration) Amendment Rules, 2015. Our appointment was to conduct the remote e- voting process and to scrutinize poll (Insta Poll) process by the Shareholders in respect of the resolution passed at Extra-Ordinary General Meeting of the Company held on 19th Day of March, 2019.

The notice dated 20th February, 2019 convening the Extra-Ordinary General Meeting of the Company was sent to the Shareholders.

The Company had provided the voting through electronics means (remote e- voting) facility offered by **Karvy Fintech Private Limited (Karvy) (erstwhile Karvy Computershare Private Limited)**, for the remote e- voting by the shareholders of the Company. The shareholders of the Company



holding shares as on the "Cut – Off" date i.e. 13th March, 2019 were entitled to vote on the proposed resolution as set out in the notice convening of Extra-Ordinary General Meeting of the Company.

The voting period for remote e- voting commenced on Saturday, 16th March 2019 at 10.00 am and ended on Monday, 18th March 2019 at 5.00 pm and the remote e-voting platform was blocked thereafter. After the closure of the Insta Poll at Extra-Ordinary General Meeting held on 19th Day of March, 2019, the report of Insta Poll at the meeting was generated in our presence.

The voting pattern was unblocked by us on Tuesday, 19th Day of March, 2019 in the presence of Ms. Anuradha Jain and Mr. Ramesh Kumar Bakshi, who are not in employment of the Company.



Ms. Anuradha Jain



Mr. Ramesh Kumar Bakshi

We have scrutinized the consolidated voting in a fair & transparent manner based on the data downloaded from the Karvy Fintech Private Limited (Karvy) (erstwhile Karvy Computershare Private Limited) platform..

Based on the data made available to us, 477 members have casted their vote on the e-voting platform and 476 members have casted their vote through poll (Insta Poll). We hereby annex the Consolidated Voting results pursuant to Rule (20)(4)(xii) of (Companies Management & Administration) Amendment Rules, 2015 on the resolution contained in the notice of aforesaid Extra-Ordinary General Meeting.

Thanking You,

Yours Faithfully,

For Agarwal S. & Associates
Company Secretaries



CS Sachin Agarwal
Joint Scrutinizer
Membership No. : F5774
C.P. No.: 5910



CS Karishma Singh
Joint Scrutinizer
Membership No. : A26054
C.P. No. : 16055



Date: 19.03.2019
Place: New Delhi


Consolidated Results

Subject Matter of resolution	Approval of Related Party Transaction
Type of Resolution	Ordinary


Particulars	Remote e-votes		Voting through Insta Poll		Total		Percentage %
	Number	Votes	Number	Votes	Number	Votes	
Assent	248	430326917	467	449102	715	430776019	68.72
Dissent	222	196109635	9	839	231	196110474	31.28
Abstain	9	4995210	0	0	9	4995210	
Total	479	631431762	476	449941	955	631881703	100.00

Based on the aforesaid results, we report that the **Ordinary Resolution** as contained in the Notice dated **February 20, 2019** has been passed with **requisite majority**.

For Agarwal S. & Associates
Company Secretaries




CS Sachin Agarwal
Joint Scrutinizer
Membership No. : F5774
C.P. No.: 5910



CS Karishma Singh
Joint Scrutinizer
Membership No. : A26054
C.P. No. : 16055



Date: 19.03.2019
Place: New Delhi



राजीव शर्मा / RAJEEV SHARMA
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
Chairman & Managing Director
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि./P.F.C. Ltd.
(भारत सरकार का उपक्रम)/(A Govt. of India Undertaking)
"ऊर्जाविधि", 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस,
"URJANIDHI", 1, Barakhamba Lane, Connaught Place,
नई दिल्ली-110001 / New Delhi-110001